



2026:AHC:26184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4627 सन् 2026

मुकेश यादव और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 11 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : विपन कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहिल कुरौली, जिला मैनपुरी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134, मामला संख्या 1322 सन् 2024 (मुकेश यादव और अन्य बनाम आमिर सिंह और अन्य), वाद संख्या 1323 सन् 2014 (मुकेश यादव और अन्य बनाम नरेश भदेई) के तहत दायर निष्कासन मामले का निर्णय करने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 की न्यायालय में निर्धारित अवधि के भीतर लंबित है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहिल कुरौली, जिला मैनपुरी को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार सख्ती से, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"